

# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी।

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 9 के अन्तर्गत गठित)

## नियम व शर्तें

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2764/एसएलएसए-37 ए/10 (आर०के०एम०/डी०राम) दिनांकित 06.11.2012 एवं शासनादेश संख्या 688/सात-न्याय-72012-11/2011 दिनांकित 03.09.2012 पत्रांक 956/एसएलएसए/37 ए दिनांकित 19 अप्रैल 2018 व पत्रांक 1728/एसएलएसए-37 ए/2010 दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी में चतुर्थ कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाईकर्मी 01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः रु० 8350/- रु० 5960/- व रु० 2390 रुपये पर अस्थाई रूप से शासनादेश संख्या 688/सात-न्याय-72012-11/2011 दिनांकित 03.09.2012 में निहित शर्तों एवं प्रबंधों के अधीन दिनांक 29.02.2024 तक के लिए आउटसोर्सिंग के जरिये नियुक्ति की जानी है। उक्त नियुक्त कर्मचारीगण का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई-पैमेन्ट/चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। चयनित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे। सम्बन्धित कर्मचारीगण एवं प्राधिकरण के मध्य इस सम्बन्ध में संव्यवहार अथवा पत्राचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अस्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित निम्नतम योग्यता होगी-

| क्र०सं० | पद का नाम | योग्यता  |
|---------|-----------|--|
| 01      | चपरासी    | कक्षा आठ उत्तीर्ण(चार पहिया वाहन चालक को वरीयता) |
| 02      | चौकीदार   | कक्षा आठ उत्तीर्ण                                |
| 03      | सफाईकर्मी | कक्षा छः उत्तीर्ण                                |

उपरोक्त के अतिरिक्त अच्छे चाल चलन वाला आज्ञाकारी व विनम्र स्वभाव होना अनिवार्य है।

2- सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई आपराधिक इतिहास व कोई भी अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।

3- सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध काराया गया कर्मचारी जनपद वाराणसी का मूल निवासी होना चाहिए।

4- आवेदन निःशुल्क है।


5- आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी में दिनांक 03.01.2024 तक सायं 4:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

6- आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाने पर सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय वाराणसी से 100/- रु० के स्टॉम्प पेपर पर उक्त आशय का एक इकरानामा निष्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।

7- नियुक्ति के समय आवेदक/अभ्यर्थी अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित स्वस्थता प्रमाण-पत्र राजकीय चिकित्सालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

8- नियुक्त कर्मचारी की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

दिनांक 22.12.2023

  
(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)  
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा, प्राधिकरण  
वाराणसी।

# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी।

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 9 के अन्तर्गत गठित)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2764/एसएलएसए-37 ए/10 (आर०के०एम०/डी०राम) दिनांकित 06.11.2012 एवं शासनादेश संख्या 688/सात-न्याय-72012-11/2011 दिनांकित 03.09.2012 पत्रांक 956/एसएलएसए/37 ए दिनांकित 19 अप्रैल 2018 व पत्रांक 1728/एसएलएसए-37 ए/2010 दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी में चतुर्थ कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाईकर्मी 01 पद) कुल 04 पदों पर नियम मासिक मानदेय क्रमशः रु० 8350/- रु० 5960/- व रु० 2390 रुपये पर अस्थाई रूप से शासनादेश संख्या 688/सात-न्याय-72012-11/2011 दिनांकित 03.09.2012 में निहित शर्तों एवं प्रबंधों के अधीन दिनांक 29.02.2024 तक के लिए आउटसोर्सिंग के जरिये नियुक्ति की जानी है।

तद् हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी में दिनांक 03.01.2024 तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्तें जनपद वाराणसी के वेबसाइट [www.ecourts.gov.in/varanasi](http://www.ecourts.gov.in/varanasi) से डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनांक 22.12.2023

(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

वाराणसी।